

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक /इपीडी०/कार्य योजना/2016-17

दिनांक

1-समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

2- अधीक्षक,
मण्डलीय प्रयोगशाला
पशुपालन विभाग,
द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

अवगत कराना है ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी योजना के सर्विलियन्स हेतु दिनांक- 13-01-2017 प्रातः 9:00 बजे से निदेशालय स्थित आडीटोरियम में (एक दिवसीय) प्रशिक्षण/ कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जिसमें अपने जनपद से इस योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को कार्यशाला में उपस्थित हो प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। इसी प्रकार मण्डलीय प्रयोगशाला के अधीक्षक को भी नामित करने का कष्ट करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि नामित अधिकारी की सूची अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(डा०ए०एन०सिंह)

निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक 441 /इपीडी०/कार्य योजना/2016-17 दिनांक 04-01-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

2- श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग के मेल आई०डी० पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3- योजना अधिकारी ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स, मुख्यालय।

(डा०ए०एन०सिंह)

निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र।

कार्यालय निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के दिशा निर्देश

पत्रांक 435 /इपीडी०/कार्य योजना/2016-17 दिनांक ०२-०१-२०१७

1- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, 2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक गेड-2
पशुपालन विभाग, उ०प्र०। पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स की योजना के वर्ष 2016-17 से स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन उ०प्र० के समस्त 75 जनपदों में किया जाना है। इस योजना के वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न परिचालन सम्बन्धी दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।

1- जनपद स्तर पर प्रशिक्षण- योजना में ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स के बारे में जानकारी देने के लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जो प्राथमिकता पर विकास भवन में स्थित सभागार/शासकीय सभागार में आयोजित किया जाये। इस प्रशिक्षण में जनपद में कार्यरत समस्त पशु चिकित्साविद प्रतिभाग करेंगे जिसमें उनको ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी से सम्बन्धित सर्विलियन्स कार्य, रक्त (Blood) /नासिका स्राव (Nasal discharge) /Abscess(फोड़ा) का रिसाव का नमूना एकत्र करना, एकत्रित नमूने को प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजना तथा अस्वस्थ पशु का चिकित्सा कार्य, प्रभावित पशुओं में बीमारी की पुष्टि होने पर पशुओं को यूथेनेशिया देना एवं सम्बन्धित के बारे में नवीनतम जानकारी दी जायेगी। इस प्रशिक्षण में पशुधन प्रसार अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित भी प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभागियों को स्टेनशरी एवं अन्य तकनीकी सामग्री, दोषहर का भोजन, चाय एवं बिस्कुट तथा आयोजन सम्बन्धित व्यय 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त गांव जाकर सर्विलियन्स में अश्व पालकों को बीमारी के बारे में जागरूक कर प्रशिक्षित करेंगे तथा लक्षण मिलने पर नमूना एकत्र करेंगे। प्रशिक्षण कार्य हेतु यात्रा व्यय का भुगतान निम्नानुसार इसी मद से किया जायेगा।

2- औषधि रसायन कय- योजना में ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स, उपचार तथा अश्व प्रजाति के पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए सम्बन्धित औषधिया 39- औषधि एवं रसायन मद के अन्तर्गत कय की जायेगी। औषधियां जो अश्व प्रजाति से सम्बन्धित पशुओं में प्रयोग की जायेगी उन्की सूची निम्नवत है। इस सूची के अतिरिक्त भी सम्बन्धित अन्य आवश्यक औषधि भी कय की जा सकती है।

Inj Antihistaminic , inj Analgesic , inj Antibiotic, inj Antispasmodic Ectoparasiticide
Drug, Antiseptic ointment, Antiseptic Lotion, Liver extract with Vitamin B complex,
Anthelmintic Drug, inj Quinopyrimine Sulphate, Rectified Spirit, Phenyl/Disinfectant,
Sterlizer Lotion/Hand Sanitizer (Bactericidal, Virucidal) आदि।

ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी की पुष्टि के पश्चात यूथेनेशिया हेतु आवश्यक I/V दी जाने वाली दवा (Pancuronium Bromide) Pavlon अथवा Substute आदि का कय किया जायेगा। विभाग द्वारा औषधियों की अनुमोदित सूची के अतिरिक्त आवश्यक गुणवत्तापरक औषधियों का स्थानीय स्तर से कय नियमानुसार 39-औषधि रसायन मद में किया जाये।

3- कम्प्यूटर/लैपटाप कय- प्रदेश के सभी मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय पर योजना के अनुश्रवण हेतु एक लैपटाप उपलब्ध कराया जाना है। जिस हेतु धनराशि रू०-50000 की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। इस लैपटाप के माध्यम से योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा अपने मण्डल में कर सकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय/योजना अधिकारी को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी मद संख्या 46 कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर का कय से धनराशि का भुगतान करेंगे। धनराशि का उपयोगिता

प्रमाण पत्र आहरण वितरण अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर उपलब्ध करायेगे, जिसकी प्रति मण्डलीय अपर निदेशक को भी देंगे। इसी प्रकार मण्डलीय प्रयोगशाला हेतु डैस्कटाप कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर का क्रय सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र को भेजना समस्त आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व रहेगा।

4- स्टेशनरी क्रय- ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स कार्य हेतु आवश्यक स्टेशनरी का क्रय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ पशुचिकित्सालयों पर उपलब्ध करायेगे। स्टेशनरी का क्रय 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद से किया जायेगा।

5- I.E.C. मैटेरियल- ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के लक्षण Zoonotic बीमारी के बारे में जागरूकता एवं बचाव के लिए तकनीकी साहित्य I.E.C. (Information, Education & Communication) मैटेरियल को उपलब्ध कराया जाना है। मैटेरियल तैयार करने पर व्यय धनराशि का भुगतान मानक मद 42- अन्य व्यय से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रक्त नमूना संग्रह करने हेतु वैक्यूटेनर, सैम्पल कलैक्शन वायल, सिरिज, आदि को भुगतान की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

इसके अतिरिक्त इसी प्रकार निदेशालय पर भी आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में योजना अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने पर बिल(बीजक) का भुगतान आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियम, वित्तीय सीमा एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व रहेगा। इस योजना में 12 माह तक लगातार सर्विलियन्स कार्य किया जायेगा तथा रिपोर्ट भी निदेशालय को दी जायेगी। योजना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तकनीकी दिशा निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। योजना का परिचालन कर तत्सम्बन्धी व्यय सुनिश्चित किया जाये। इस बीमारी सम्बन्धी समस्त सूचनायें योजना हेतु नवनिर्मित ई-मेल आई0डी0 पर gffssahd16@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

(डा0ए0एन0सिंह)

निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पत्रांक /इपीडी0/कार्य योजना-निर्देश/2016-17 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वित्त नियन्त्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 3- नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- योजना अधिकारी, ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियन्स योजना इपीडी0 अनुभाग मुख्यालय।

(डा0ए0एन0सिंह)

निदेशक

रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र

पशुपालन विभाग, उ0प्र0।